

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति /

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के साथ दिये जा रहे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें शामिल हैं, 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें वर्ष के परिणाम शामिल हैं के सार सहित नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स

- हमने 20 शाखाओं, एक ट्रेज़री शाखा और 18 एफजीएमओ कार्यालयों की लेखा परीक्षा की है
- 3413 शाखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों ने की है और
- 3 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है.

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है. लाभ हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण उन 5931 शाखाओं के रिटर्न हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं, को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है. लेखा परीक्षा न की गई इन शाखाओं में अग्रिमों का 16.36 प्रतिशत, जमा का 33.74 प्रतिशत, ब्याज आय का 37.35 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 37.64 प्रतिशत हिस्सा है.

हमारे मत में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा बैंक के लिये अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं एवं प्रस्तुत है और:

- तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;
- लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा
- नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है.

अभिमत का आधार:

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

मामलों का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15.के की ओर आकर्षित करते हैं - 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई लेखा नीतियों/ अनुमानों में परिवर्तन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए खातों के नोट्स, जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू है एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में है. गैर-निष्पादित खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में, पहले अप्राप्त ब्याज की और फिर

बकाया मूलधन का विनियोजन किया जाता है जबकि पहले की अवधि में सर्वप्रथम मूलधन और फिर अप्राप्त ब्याज का विनियोजन किया जाता था। लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव के परिणामस्वरूप तिमाही के लिए आय में ₹ 495.26 करोड़ और वर्ष के लिए ₹ 1081.77 करोड़ की वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप सकल अनर्जक परिसंपत्तियों में उतनी राशि की कमी नहीं आई है।

हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15.सी की ओर आकर्षित करते हैं - ₹1902.02 करोड़ की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में ₹ 380.40 करोड़ की राशि का चार्ज किया है, और ₹1521.62 करोड़ के शेष असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15.एन की ओर आकर्षित करते हैं - कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर करता है जिसमें कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई और अन्य नियामक उपाय शामिल हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखा परीक्षा मामले वो मामले हैं जो, चालू अवधि के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं।

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
	<p>31 मार्च, 2022 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 85.01% थे, जो आस्तियों का बड़ा एक वर्ग है। उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं। बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है।</p> <p>बैंक में आईआरएससी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है।</p>	<p>हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था।</p> <p>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएससी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं।</p> <p>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/ एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण; आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है।

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		<ul style="list-style-type: none"> • हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है। • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है। • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है। • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, के कार्यों की समीक्षा एसए 620 के अनुसार लेखापरीक्षक विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कराई हैं। • इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है। • हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है। • अंक संबंधी सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन। <p>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है।</p>
2	<p>सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण</p> <p>कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर अत्यधिक रूप से निर्भर है। लेनदेन की अत्यधिक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को प्रतिदिन प्रसंस्करित किया जाता है एवं जोखिम यह है कि औटोमेटेड लेखा पद्धति एवं संबन्धित आंतरिक नियंत्रण या तो उपर्युक्त तौर पर डिजाइन नहीं है या प्रभावी तौर से परिचालन नहीं कर रहा है। विशेष केंद्रण के क्षेत्र इस तर्क से संबन्धित हैं कि डाटा की विश्वसनीयता एवं शुद्धता, पहुँच का प्रबंधन एवं दायित्वों का पृथक्करण सिस्टम में फीड होती है। ये मुख्य सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन एवं डाटा में बदलाव उचित, प्राधिकृत, शुद्ध एवं जाँचे गए हैं ताकि सिस्टम सही एवं विश्वसनीय रिपोर्ट एवं अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाएँ सृजित करे जोकि वित्तीय विवरणों के प्रसारण के लिए प्रयोग होती है।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सिस्टम से टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर सृजित अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं के सत्यापन द्वारा आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावकारिता की समीक्षा, जांच एवं सत्यापन शामिल है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह सुनिश्चित करना कि टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर किए गए हमारे सत्यापन में पायी गयी कमियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन को सूचित कर दी गयी हैं। • वो क्षेत्र जहां कमियाँ पायी गयी थी, में स्वतंत्र वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ जैसे मूल जांच की जा सकती है। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ जैसे अनुपातीय विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण। • शाखा के लेखापरीक्षा के आधार पर सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया कार्य एवं पास की गयी सुधारात्मक प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता।

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
	<p>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस की एवं अन्य आईटी सिस्टम के सही निष्पादन पर भरोसा किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण अग्रिम पोर्टफोलियो का प्रावधानीकरण अग्रिम एवं देयताओं संबंधी विभिन्न मदों एवं विभिन्न वर्गों में इसकी अवधि पूर्ण होने के स्वरूप की पहचान विभिन्न उच्चत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खातों, अंतर-शाखा शेष एवं अन्य इस तरह के खातों का समाधान निवेश संबंधी लेनदेन को रिकॉर्ड करना जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज खर्च 	<ul style="list-style-type: none"> जहां भी उपलब्ध हो, बाहरी वेंडर जांच रिपोर्टों पर विश्वास करना. आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.
3	<p>आस्थगित कर की मान्यता और माप</p> <p>बैंक ने 31 मार्च, 2022 को ₹ 12,29,23,747 ('000 में) की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है. वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा, आस्थगित कर संपत्ति की पहचान और माप उपलब्धता के संबंध में निर्णय और कई अनुमानों और भविष्य में मुनाफे की दृश्यता पर आधारित है. मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में हाल ही में हुई कमी से समय की विस्तारित अवधि में उपलब्धता और लाभ की भविष्यवाणी का अनुमान लगाया जाता है जिससे अनिश्चितता और उक्त परिसंपत्ति की अनुचित मान्यता के अंतर्निहित जोखिम में कमी होती है.</p>	<p>प्रचलित कर कानूनों और बैंक पर लागू प्रासंगिक नियमों की समझ हासिल करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन को शामिल किया गया है. अपनी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक मुख्य नियंत्रणों और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दोनों परीक्षण किए हैं. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन; प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट और मध्यावधि अनुमानों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली पद्धति, मान्यताओं जैसे एकरूपता, प्रबंधन अभ्यावेदन, सामंजस्य और निरंतरता और अन्य मापदंडों का आकलन किया गया, जिसमें आय वृद्धि और लागू कर दरें शामिल हैं और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया है. मुनाफे की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया गया जिसके सामने बैंक भविष्य में इस आस्थगित कर संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
4.	कोविड-19 महामारी	
	<p>कोविड 19 महामारी ने देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत सरकार ने मार्च 2020 के बाद से एक के बाद एक लॉक डाउन की घोषणा की थी, जिसे संबंधित राज्य की मौजूदा स्थिति के आधार पर देश भर में क्षेत्रीय तरीके से विभिन्न समय पर उठाया और फिर से लगाया गया था.</p> <p>तदनुसार एवं आंशिक और पूर्ण लॉक डाउन के अनुरूप, हमने वर्ष के कुछ हिस्से के लिए यात्रा प्रतिबंधों का सामना किया और जहाँ कहीं भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, बैंक ने दूरस्थ रूप से ऑडिट करने की सुविधा प्रदान की. वर्ष के अंत तक यह स्थिति काफी हद तक कम हो गई और इसलिए वर्ष के अंत में भौतिक लेखापरीक्षा सबसे अधिक प्रचलित थी.</p> <p>जैसा कि हम व्यक्तिगत/भौतिक रूप में/चर्चा के द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य नहीं जुटा सकते थे, तथा शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत नहीं कर सकते थे, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा प्रावधानों की प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचान की है.</p> <p>तदनुसार, सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रावधानों में संशोधन किया गया.</p>	<p>जहाँ भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक द्वारा बैंक के निर्दिष्ट ऑडिट पोर्टल सहित डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं सीबीएस के सुदूर पहुँच तथा लेखाबंदी पैकेज से आवश्यक रिकॉर्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे. इस तरह, हमें ऐसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेज, रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड जोकि लेखापरीक्षा आयोजित करने तथा चालू अवधि की रिपोर्टिंग के लिए मान्य लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया आयोजित की गयी थी.</p> <p>तदनुसार, हमने अपने लेखापरीक्षा प्रावधानों में (नियामक तथा आईसीएआई एड्वाइजरी पर आधारित) निम्नानुसार संशोधन किए हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> कुछ शाखाओं/क्षेत्रों/अंचलों/वर्टिकल्स/कॉर्पोरेट कार्यालय एवं बैंक के अन्य कार्यालय, जहाँ भौतिक रूप से पहुँचना संभव नहीं था, वहाँ आवश्यक रिकॉर्ड दस्तावेज/सीबीएस /लेखाबंदी पैकेज एवं अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुदूर पहुँच/ई-मेल की सहायता से सत्यापन किया गया है. दस्तावेज, विलेख, प्रमाणपत्र, शाखाओं के विवरण की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया गया तथा संबंधित रिकॉर्ड हमें ई-मेल और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क सुदूर पहुँच से उपलब्ध कराए गए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत एवं फ़ोन पर चर्चा/कान्फ्रेंस कॉल, ई-मेल तथा इसी तरह के संचार माध्यमों से पूछताछ की गई तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाए गए हैं. पदनामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने चर्चा करने की बजाय टेलीफोन/ई-मेल के माध्यम से हमारा लेखापरीक्षा निरीक्षण किया गया.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कोर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उसके उपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्रय नहीं देते हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या तात्विक रूप से मेल नहीं होता है.

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और इसके प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ :

6. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों में बैंक के सही एवं निष्पक्ष वित्तीय स्थिति एवं नकद प्रवाह देने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा नियमों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम,

1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश के अनुरूप हों। इस जिम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा मत शामिल करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन।
- लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित टोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि टोस अनिश्चितता नजर आती है तो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रदर्शन माना जाए।

वास्तव में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संभव हो सकता है कि इससे वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। हम निम्न परिणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का

प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गयी किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेस के प्रभारी को भी वचन देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना और अन्य ऐसे मामलों में सुरक्षा से संबन्धित उचित विवरण भी प्रदान करते हैं, जो हमें उचित प्रतीत होते हैं।

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों।

अन्य मामले:

- हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 3416 घरेलू शाखाओं और प्रोसेसिंग केंद्रों सहित 3 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियां 31 मार्च, 2022 को ₹ 3443521247.98 (हजार में) है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 247892046.15 (हजार में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को ये शाखाएं और प्रोसेसिंग केंद्र 41.73% अग्रिम, 63.26% जमाओं, 30.58% गैर निष्पादक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के राजस्व में इन शाखाओं का योगदान 31.63% है। इन शाखाएं वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
उपर्युक्त अनुच्छेद 5 एवं 8 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:
ए. हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
बी. हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा
सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
- “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता” के संबंध में पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बनाने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्त कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो।

- बी) हमारे मत में, ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या मामले, जिनका विपरीत प्रभाव बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ता हो, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है.
- सी) चूंकि बैंक कंपनीज़ अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है.
- डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित मामलों में, हमारी कोई विशेष या विपरीत टिप्पणी नहीं है.
- ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दिए गए हैं. दि. 31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.

11. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है.
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के खातों से मेल खाते हैं और संबन्धित विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है.
- (सी) बैंककारी नियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है और
- (डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेड्डी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEXO8437

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2022

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (नियत तारीख को हमारे रिपोर्ट के 'अन्य संवैधानिक और नियामक अपेक्षाओं' के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ए) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 तथा उसके बाद दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक शाखाओं की इस तारीख के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी लेखापरीक्षा शामिल है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए, बैंक प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित कर उन्हें लागू करे. इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मानदंड बनाना, लागू करना और उन्हें संचालित करना शामिल है, जिससे इसके कारोबार विधिवत और प्रभावी संचालित हो सके और बैंक की नीतियों का अनुपालन हो सके, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान की जा सके, लेखांकन रिकार्ड में सटीकता और पूर्णता हो और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ प्राप्त की जा सके, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशानिदेशों में अपेक्षित हैं.

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपने लेखापरीक्षा में, बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर यथासंभव लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिदेश नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की है, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उचित अनुपालना में नैतिक अपेक्षाओं के लिए मानक दिशानिदेश नोट में इस बात का ध्यान रखना कि उनका अनुपालन हो रहा है और सभी प्रमुख मामलों में प्रभावी परिचालन हो रहा है या नहीं.

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, यदि कोई कमी हो तो उसके जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच करना और प्रभावी परिचालन के लिए उपाय सुझाना शामिल है. इस प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होगा, इसमें वित्तीय विवरणों की विसंगतियों के जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल है, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हों.

हमारा विश्वास है कि निम्न अनुच्छेद के अनुसार अन्य मामलों में, जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें मिले हैं तथा शाखा लेखापरीक्षकों को उनके रिपोर्ट में मिले हैं, वे बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है: (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकार्ड्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वितते विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

अभिमत

हमारे मत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत सभी प्रमुख तत्वों में पर्याप्त परिचालन हो रहा है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिये गए मार्गदर्शी नोट के अनुदेशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जा रहा है।

अन्य मामले :

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का, जहां तक 3413 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी परिचालन प्रभावशीलता से संबंध है वह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	6,83,47,475	6,40,68,444
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	63,74,13,875	58,06,98,908
शेयर आवेदन राशि		-	-
जमाराशियाँ	3	10,32,39,26,349	9,23,80,53,402
उधार	4	51,17,90,975	51,83,71,092
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	33,44,31,935	31,58,66,602
कुल		11,87,59,10,609	10,71,70,58,448
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	46,11,25,911	37,88,04,613
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	73,38,77,672	46,52,98,860
निवेश	8	3,48,50,73,915	3,31,51,17,896
अग्रिम	9	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
अचल आस्तियां	10	7,19,13,038	7,34,38,719
अन्य आस्तियां	11	51,38,73,446	57,45,69,601
कुल		11,87,59,10,609	10,71,70,58,448
आकस्मिक देयताएं	12	6,50,24,77,545	3,70,52,79,658
संग्रहण के लिए बिल		66,08,94,129	34,69,48,137
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(डॉ. जयदेव मद्गुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFA02016

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

कृते मेसर्स एन बी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

सीए प्रदीप जे. शेठी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	67,94,39,508	68,76,73,349
अन्य आय	14	12,52,48,172	11,74,44,937
कुल		80,46,87,680	80,51,18,286
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	40,15,74,864	44,07,89,085
परिचालन व्यय	16	18,43,80,735	16,76,59,928
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		16,64,11,123	16,76,09,622
कुल		75,23,66,722	77,60,58,635
III. वर्ष का लाभ/(हानि)			
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		5,23,20,958	2,90,59,651
कुल		5,23,20,958	2,90,59,651
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		1,30,80,240	72,64,913
पूंजी आरक्षिति में अंतरण		1,22,12,675	90,01,837
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरित		65,68,682	1,27,92,901
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		22,53,341	-
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण		52,20,000	-
प्रस्तावित लाभांश		1,29,86,020	-
लाभ एवं हानि लेखे में शेष		0	0
कुल		5,23,20,958	2,90,59,651
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य रु. 10)	18	7.73	4.54
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(पंकज कुमार) उप महाप्रबंधक	(प्रफुल्ल कुमार सामल) मुख्य वित्तीय अधिकारी
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से	
(निधु सक्सेना) कार्यपालक निदेशक	(रजनीश कर्नाटक) कार्यपालक निदेशक
	(राजकिरण रै जी.) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(समीर शुक्ला) निदेशक	(अरुण कुमार सिंह) निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर) निदेशक	(डॉ. जयदेव मद्गुला) निदेशक
(सूरज श्रीवास्तव) निदेशक	(प्रीति जय राव) निदेशक
हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार	
कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 002785S	कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन 109262W/W100673
कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 108959W	
सीए पी. एम. वीरामनी भागीदार सदस्य सं. 023933 यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267	सीए गिरिशज सोनी भागीदार सदस्य सं. 109738 यूडीआईएन: 22109738AIXFA02016
सीए सचिन वी. लूथरा भागीदार सदस्य सं. 109127 यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530	
कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 005223C	कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 002803C
कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 110100W	
सीए शरद बंसल भागीदार सदस्य सं. 423507 यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410	सीए गौतम शर्मा भागीदार सदस्य सं. 79225 यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594
सीए प्रदीप जे. शेट्टी भागीदार सदस्य सं. 046940 यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437	

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 1 - पूंजी :		
I. प्राधिकृत:		
रु. 10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं प्रदत्त :		
i. रु. 10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रु. 10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 70,01,83,505 इक्विटी शेयर)	1,12,80,866	70,01,835
घटाएँ: काल्स अप्रदत्त	0,000	0,000
जोड़ें: जब्त शेयर	0,000	0,000
कुल	6,83,47,475	6,40,68,444

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :				
I. सांविधिक आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,32,08,662		12,59,43,749	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,30,80,239	14,62,88,901	72,64,913	13,32,08,662
II. पूंजी आरक्षित:				
i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,89,84,778		4,99,77,701	
वर्ष के दौरान वृद्धि	79,201		40,444	
वर्ष के दौरान कमी	14,93,238		10,33,367	
कुल	4,75,70,741		4,89,84,778	
ii) पूंजी आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,67,12,164		3,77,10,327	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,22,12,675		90,01,837	
कुल	5,89,24,839		4,67,12,164	
iii) समामेलन समायोजन आरक्षित	1,30,95,979	11,95,91,559	1,30,95,979	10,87,92,921
III. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,32,70,019		50,08,54,966	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,92,652		0,000	
वर्ष के दौरान कमी	50,871	18,34,11,800	32,75,84,947	17,32,70,019
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
i) राजस्व आरक्षित :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,64,54,761		8,25,61,562	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,31,16,426		2,64,98,876	
वर्ष के दौरान कमी	11,98,748		1,26,05,677	
कुल	10,83,72,439		9,64,54,761	

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि	5,50,78,789		5,50,78,789	
	52,20,000		0,000	
कुल	6,02,98,789		5,50,78,789	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान कमी	10,42,370		3,63,866	
	23,859		6,85,434	
	10,35,910		6,930	
कुल	30,319		10,42,370	
iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि	1,27,92,901		0,000	
	65,68,682		1,27,92,901	
कुल	1,93,61,583		1,27,92,901	
V) एफएक्स स्वेप पर विशेष आरक्षित लाभ	58,485	18,81,21,615	58,485	16,54,27,306
V. लाभ हानि खाते में शेष		0,000		0,000
कुल		63,74,13,875		58,06,98,908
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
ए)				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	81,32,959		76,23,510	
ii) अन्य से	71,83,91,699	72,65,24,658	62,86,14,209	63,62,37,719
II. बचत बैंक जमाराशियां				
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	2,27,87,325		3,16,45,103	
ii) अन्य से	6,52,92,06,540	6,55,19,93,865	5,85,04,89,754	5,88,21,34,857
कुल		10,32,39,26,349		9,23,80,53,402
बी)				
i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		10,32,10,23,919		9,21,62,71,426
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		29,02,430		2,17,81,976
कुल		10,32,39,26,349		9,23,80,53,402
अनुसूची 4 - उधार :				
ए) भारत में उधार				
I. भारतीय रिजर्व बैंक	14,20,90,000		14,20,90,000	
II. अन्य बैंक	1,99,29,833		1,40,00,565	
III. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	2,98,96,073		2,74,54,914	
IV. शाश्वत बॉन्डस- टियर I	8,70,50,000		7,10,50,000	
V. अधीनस्थ बॉन्डस- टियर II	10,05,00,000		10,05,00,000	
VI. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस	0,000	37,94,65,906	50,01,000	36,00,96,479
बी) भारत से बाहर उधार		13,23,25,069		15,82,74,613
कुल		51,17,90,975		51,83,71,092
उपर्युक्त (बी) I & II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार		14,70,29,470		14,20,90,000

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		2,68,90,202		2,30,30,334
II. उपचित ब्याज		4,52,33,997		3,13,98,586
III. अन्य (प्रावधान सहित)		26,23,07,736		26,14,37,682
कुल		33,44,31,935		31,58,66,602
*मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित रु. 6,56,67,690 (पिछले वर्ष रु.5,11,29,666)				
अनुसूची 6 – नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:				
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		3,78,19,394		3,78,17,879
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (ए) चालू खाते में (बी) अन्य खातों में		42,33,06,517 0,000		34,09,86,734 0,000
कुल		46,11,25,911		37,88,04,613
अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :				
I. भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष				
i) बैंकों में शेष (ए) चालू खातों में (बी) अन्य जमा खातों में		22,24,274 6,08,75,196		52,33,575 7,02,13,074
ii. मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन (ए) बैंकों से (बी) अन्य संस्थाओं से		0,000 55,41,14,877	61,72,14,347	0,000 29,55,40,000
II. भारत के बाहर				
i) चालू खातों में		29,80,253		22,66,568
ii) अन्य जमा खातों में		11,36,83,072		9,20,45,643
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		0,000	11,66,63,325	0,000
कुल		73,38,77,672		46,52,98,860
अनुसूची 8 – निवेश:				
I. भारत में निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में		2,64,16,37,956		2,40,25,37,531
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		0,000		0,000
iii) शेयरों में		2,30,53,036		2,01,62,150
iv) डिबेंचर एवं बॉण्डों में		69,38,31,055		74,40,56,416
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		33,86,095		53,76,479
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)		9,51,30,775		11,59,47,026
कुल		3,45,70,38,917		3,28,80,79,602
II. भारत से बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		1,61,01,880		1,48,25,814
ii) अन्य निवेश (बॉण्डों में)		4,60,268		7,39,320
iii) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		1,14,72,850		1,14,73,160
कुल		2,80,34,998		2,70,38,294
कुल		3,48,50,73,915		3,31,51,17,896

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
III. i) भारत में निवेश				
सकल मूल्य		3,51,85,30,523		3,35,03,34,391
मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		6,14,91,606		6,22,54,789
निवल मूल्य		3,45,70,38,917		3,28,80,79,602
ii) भारत से बाहर निवेश				
सकल मूल्य		2,83,51,221		2,70,57,741
मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		3,16,223		19,447
निवल मूल्य		2,80,34,998		2,70,38,294
कुल		3,48,50,73,915		3,31,51,17,896

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)		
ए.		
i) खरीदे और भुनाए गए बिल	3,87,09,874	4,11,16,878
ii) केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	2,87,88,96,001	2,66,12,08,397
iii) मीयादी ऋण	3,69,24,40,752	3,20,75,03,484
कुल	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
बी.		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*	5,34,44,92,520	5,07,39,93,631
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	13,06,61,251	16,51,79,860
iii) अप्रतिभूत	1,13,48,92,856	67,06,55,268
कुल	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
(* बही ऋण के सापेक्ष रु. 61,83,30,066 के अग्रिम सहित (पिछले वर्ष रु. 59,90,84,207))		
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
I. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,59,52,39,457	2,52,92,91,622
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	72,72,96,155	61,06,29,459
iii) बैंक	2,22,975	3,07,310
iv) अन्य	3,13,82,79,933	2,62,93,66,222
कुल	6,46,10,38,520	5,76,95,94,613
II. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्य	5,31,10,677	3,41,84,098
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	12,11,011	0,000
बी) सिंडिकेटेड ऋण	5,47,141	11,83,093
सी) अन्य	9,41,39,278	10,48,66,955
कुल	14,90,08,107	14,02,34,146
कुल	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :				
ए. मूर्त आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,15,36,732		8,08,23,818	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,10,204		7,16,224	
वर्ष के दौरान कमी	12,75,792		3,310	
	8,08,71,144		8,15,36,732	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,63,31,743	5,45,39,401	2,48,41,708	5,66,95,024
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	6,22,879		5,79,704	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,26,601		1,57,093	
वर्ष के दौरान कमी	3,88,483	3,60,997	1,13,918	6,22,879
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	12,45,683		12,45,683	
वर्ष के दौरान वृद्धि	13,08,678		-	
वर्ष के दौरान कमी	55,725		-	
	24,98,636		12,45,683	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	4,52,022	20,46,614	78,385	11,67,298
IV. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)				
ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,65,352		2,65,352	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,65,352	-	2,65,352	-
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,46,03,010		6,20,76,819	
वर्ष के दौरान वृद्धि	48,67,443		34,97,487	
वर्ष के दौरान कमी	7,95,520		9,71,296	
	6,86,74,933		6,46,03,010	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	5,60,79,797	1,25,95,136	5,25,98,644	1,20,04,366
वी. अमूर्त आस्तियां				
कंप्यूटर साफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,12,22,581		85,50,124	
वर्ष के दौरान वृद्धि	8,72,637		26,73,629	
वर्ष के दौरान कमी	11,880		1,172	
	1,20,83,338		1,12,22,581	
घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित	97,12,448	23,70,890	82,73,429	29,49,152
कुल		7,19,13,038		7,34,38,719

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :				
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)		1,79,97,045		7,34,01,772
II. उपचित ब्याज		7,68,96,049		6,00,37,714
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती(निवल प्रावधान)		5,39,12,604		6,62,28,752
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप		63,349		68,176
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां		1,334		1,238
VI. अन्य*		21,24,01,949		20,61,34,433
VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		12,29,23,747		15,67,24,947
VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता		2,96,77,369		1,19,72,569
कुल		51,38,73,446		57,45,69,601
*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी राशि रु. 9,64,56,088 सहित (पिछले वर्ष रु. 11,12,93,710)				
अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :				
I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		3,31,30,212		3,73,07,180
II. अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		0,000		5,920
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		4,36,34,96,833		2,28,99,08,209
IV. संघटकों की ओर दी गयी गारंटी				
ए) भारत में	65,35,08,697		66,32,75,681	
बी) भारत से बाहर	1,65,75,655	67,00,84,352	1,34,92,045	67,67,67,726
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		1,26,92,16,524		52,07,37,119
VI. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग		13,77,78,737		15,68,01,095
VII. डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि		2,87,70,887		2,37,52,409
कुल		6,50,24,77,545		3,70,52,79,658
उगाही हेतु बिल		66,08,94,129		34,69,48,137

स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	45,23,55,006	45,76,58,380
II. निवेशों से आय	19,94,28,382	20,57,37,022
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,14,08,267	1,60,48,797
IV. अन्य	62,47,853	82,29,149
कुल	67,94,39,508	68,76,73,349
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1,73,98,170	1,24,19,145
II. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	3,41,11,874	3,65,13,065
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	-10,70,995	40,76,402
IV. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि - (निवल)	-3,489	76,136
V. विनिमय संबन्धित कार्यों से लाभ (निवल)	60,80,630	43,36,222
VI. विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	24,700	0,000
VII. विविध आय	6,87,07,282	6,00,23,967
कुल	12,52,48,172	11,74,44,937
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमा राशियों पर ब्याज	37,45,42,117	40,80,68,450
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,05,59,953	1,49,02,542
III. अन्य	1,64,72,794	1,78,18,093
कुल	40,15,74,864	44,07,89,085
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	10,11,46,061	9,28,36,117
II. किराया, कर और बिजली	1,07,06,732	1,10,38,072
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	9,67,655	9,22,049
IV. विज्ञापन और प्रचार	6,13,743	3,11,524
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	73,81,013	89,52,298
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	8,287	13,326
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	6,30,321	10,55,638
VIII. विधि प्रभार	14,08,632	12,47,733
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	31,10,629	23,31,123
X. मरम्मत एवं रखरखाव	32,71,779	35,60,302
XI. बीमा	1,28,77,009	1,26,65,917
XII. अन्य व्यय	4,22,58,874	3,27,25,828
कुल	18,43,80,735	16,76,59,928

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (स्टैंडअलोन) : अनुसूची 17

1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबे), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएं। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है।

3. राजस्व की पहचान

- 3.1. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- 3.2. गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है।
- 3.3. गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचय के आधार पर की गई है।
- 3.4. विनियम एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- 3.5. "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
 - 3.5.1. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।

- 3.5.2. शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- 3.6. जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।
- 3.7. भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है।
- 3.8. आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है।

4. वसूली का विनियोजन :

एक बारगी निपटान एवं एनसीएलटी समाधान से वसूली का विनियोजन स्वीकृति की शर्तों के अनुसार होगा। ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से वसूली निम्नानुसार विनियोजित होगी:

- 4.1. जब देनदार और लेनदार के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा :

मियादी ऋण हेतु :

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज).
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- चल रहे खाता-बही शेष के लिए.

चल रहे खातों के लिए:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
 - छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज) सहित एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
 - मूलधन के लिए
- 4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का अनुबंध करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा।

4.3. गैर निष्पादित निवेश वसूली के मामले में वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

- ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- बी. एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज)
- डी. वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए
- ई. चल रहे खाता-बही शेष के लिए

5. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है :

- 5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- 5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- 5.3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह - इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

6. निवेश

6.1. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप ए की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- 6.1.1. सरकारी प्रतिभूतियां
- 6.1.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- 6.1.3. शेयर
- 6.1.4. ऋण पत्र एवं बांड
- 6.1.5. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
- 6.1.6. अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीओआर.एमआरजी 42/21.04.141 /201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा

- ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

6.2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं

- 6.2.1. "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर
 - 6.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.
 - 6.2.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.
 - 6.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.
 - 6.2.1.4. सहायक/संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा.
- 6.2.2. "एएफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां
 - 6.2.2.1. बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धहास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.
 - 6.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां)	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹ 1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर बही मूल्य की गणना जाती है.

डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमडीए / ए. फबीआईएल के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
ई	ऋण पत्र/ बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमडीए / एफबीआईएल के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर
एफ	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार
जी	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

- 6.3. अंतर बैंक/भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.
- 6.4. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :
- 6.4.1. एफएएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में यथा शिफ्ट की तिथि पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर. यदि कोई हास है, तो लगाया गया है
- 6.4.2. एचटीएम श्रेणी से एफएएस / एचएफटी श्रेणी में
- 6.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

- 6.4.2.2. यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

- 6.4.3. विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- 6.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य हास/प्रावधान किया गया है.
- 6.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.
- 6.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.
- 6.8. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत में शामिल किया गया है.
- 6.9. एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की गई है.
- 6.10. निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए बैंक भारत औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.
- 6.11. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तिथि' का पालन किया जाता है.
- 6.12. म्युचुअल फंड जोखिम पूंजी और प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकदी आधारी माना जाता है.

- 6.13. डेरीवेटिव संविदा

6.13.1. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

6.13.2. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (यदि कोई लाभ हो तो अनदेखा किया जाए)

6.13.3. विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। यदि कोई लाभ हो, तो अनदेखा कर दिया जाता है।

7. अग्रिम

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

7.1.1. मानक

7.1.2. अवमानक

7.1.3. संदिग्ध और

7.1.4. हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र डीओआर क्रं एसटीआर. आरईसी 55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

7.2. भारिबे द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता "अनियमित रहता" है यथा

7.2.2.1. यदि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों, या

7.2.2.2. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो।

7.2.3. खरीदे गए /रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहते हैं।

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक

मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो भले ही इकाई कार्यशील हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

7.2.7. एमएसएमई खातों के संबंध में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की छूट का लाभ बैंक को दिया जाता है आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानकों का पालन करेंगे जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर क्र.बीपी 100/21.04.048/2017-18 दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं डीबीआर क्र. बीपी. 108/21.04.048/2017/18 दिनांक 06 जून, 2018 में वर्णित किया गया है।

7.2.8. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में जारी परिपत्र क्र. डीओआर.सं.बीपी.बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मॉडेल करेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा।

7.2.9. 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 एवं 23 मई, 2020 को आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मानक रूप से वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं के लिए 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के लिए यद्यपि जिनका अतिदेय 29 फरवरी, 2020 को था के पुनर्गठन पर विचार किए बिना बैंक ने किस्त और / या ब्याज के भुगतान पर स्थगन को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 एवं परिपत्र क्र.डीबीआर सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर.एसटीआर. आरईसी12/21.04.048/2021-22 एवं डीओआर.एसटीआर. आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाए रखेगा।

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है :

7.3.1. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है।

- 7.3.2. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.
- 7.3.3. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.
- 7.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15%
	ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो.
	iii. आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्करो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर)
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	i. एक वर्ष तक 25%
	ii. एक से तीन वर्ष 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक 100%
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

- 7.5. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.
- 7.6. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.
- 7.7. पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.
- 7.8. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.
- 7.9. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुकाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

- 7.10. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है. मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार बनाए गए हैं.

- 7.11. छह महीने से अधिक समय से बकाया उचित खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राय पेंशन आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया जाता है.

8. संपत्ति, प्लॉट और उपकरण

- 8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यहास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधर लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए राखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है. जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है. "संपत्ति, प्लॉट और उपकरण" पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रेवल्यूशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यहास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रेवल्यूशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है.
- 8.2. बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेटड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है. मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष)	प्रतिशत में दर
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टबल)	10	10.00
6	स्लिट एवं विंडो वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण / यंत्र, एसडीवी लॉकर्स, स्ट्रॉग रूम डोर, नकद तिजोरी आदि	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध मर्दे	3	33.33
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम मर्दे	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टेबलेट्स प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ी आदि	3	33.33

8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है।

8.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है।

9. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित अस्ति सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी "आस्ति की हास" पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है। आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर हास हानि मानी जाती है। हास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। हास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई हास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो हास न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती है।

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है। एएस-11 की शर्तों के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, अंतर्देशीय सहायक संस्थाओं को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

- 11.1. वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को संशोधित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है।
- 11.2. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।
- 11.3. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है।
- 11.4. गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं।

12. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

- 12.1. राजस्व की पहचान
संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है।
- 12.2. आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण
आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं
- 12.3. अचल आस्ति और मूल्यहास
12.3.1. अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है।
12.3.2. संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- 12.4. आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है।
- 12.5. आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है।
- 12.6. सभी परिणामी विनमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिज़र्व में संचित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ :

- 13.1. अल्पावधि रोजगार लाभ :
अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है
- 13.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :
13.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं :
बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।
13.2.2. निर्धारित लाभ योजना :
ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।
14. खंडवार रिपोर्टिंग
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17- "खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। कारोबार खंडों को वर्गीकृत किया गया है
14.1. ट्रेजरी परिचालन,
14.2. कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
14.3. रिटेल बैंकिंग परिचालन और
14.4. अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

15. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

16. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट को सूचित करता है। प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

17. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक 'उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा। गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है।

18. प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप

वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

19. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं।

20. खातों का समेकन :

बैंक की पांच सहायक कंपनियां यथा यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्ट्री कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एवं यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड है।

बैंक के तीन संयुक्त उद्यम यथा स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद हैं।

बैंक की एक सहयोगी चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है।

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

- 20.1. मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- 20.2. सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयताओं को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे।
- 20.3. एसोसिएट्स का समेकन : एसोसिएट में निवेश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन के आधार पर लेखांकित किया गया है।
- 20.4. संयुक्त उपक्रम का समेकन : भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन किया गया है।

अनुसूची 18: लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन)

1. विनियामक पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 01 अक्टूबर, 2021 तक बासल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासल III को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-1 पूंजी, कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) एवं अतिरिक्त टियर-1 पूंजी (एटी 1) से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2022 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी I के 8.00% (2.50% पूंजी संरक्षण बफर सहित) न्यूनतम टियर I सीआरएआर के 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने 21 मई, 2021 को अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अंतर्गत 42,79,03,111 अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी किए हैं. तदनुसार, बैंक ने भारत सरकार की शेयरधारिता 31 मार्च, 2021 तक के 89.07% के तुलनात्मक घटकर 83.49% हो गई है. इसके साथ ही, बैंक ने ट्रांच में रु. 2,000 करोड़ के बासल III अनुपालक टियर-2 बॉन्ड तथा रु. 5,000 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड जारी किए हैं और रु. 2,000 करोड़ के बासल III अनुपालक टियर-2 बॉन्ड तथा रु. 3,400.00 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के मोचन के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है.

ए) नियामक पूंजी का संगठन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/भुगतान किए गए शेयर तथा आरक्षित (कटौतियों के निवल, यदि कोई हो)	58,048.85	50,000.86
ii.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/अन्य टियर 1 पूंजी	8,539.83	7,089.64
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	66,588.68	57,090.50
iv.	टियर 2 पूंजी	12,692.32	12,172.01
v.	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	79,281.00	69,262.51
vi.	कुल जोखिम भारांक आस्तियां (आरडबल्यूए)	5,45,922.81	5,51,520.67

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीई 1)/भुगतान किया गया शेयर पूंजी तथा आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में आरक्षित	10.63	9.07
viii.	टियर 1 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 1)	12.20	10.35
ix.	टियर 2 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2)	2.32	2.21
x.	जोखिम भारांक आस्ति अनुपात को पूंजी (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.52	12.56
xi.	लीवरेज अनुपात	5.17	4.82
xii.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	ए) भारत सरकार	83.49	89.07
	बी) राज्य सरकार (नाम स्पष्ट करें)	--	--
	सी) प्रायोजक बैंक	--	--
xiii.	वर्ष के दौरान उगाही किए गए इक्विटी पूंजी में से भुगतान राशि	1,447.17	--
xiv.	वर्ष के दौरान उगाही की गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से:		
	ए) बासल III अनुपालक जारी गैर-संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी) बासल III अनुपालक जारी ऋण लिखतें	5,000.00	1,705.00
xv.	वर्ष के दौरान उगाही की गई टियर-पूंजी की राशि, जिसमें से		
	ए) जारी संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी) विमोचन योग्य गैर-स्नाचाइ अधिमानित शेयर	--	--
	सी) बासल III अनुपालक प्रतिदेय गैर प्रवर्तनीय टियर II बॉण्ड	2,000.00	2,000.00

बी) आरक्षित से आहरण में कमी:

वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने धोखाधड़ियों के अमूर्त अंश से अन्य आरक्षित में रु. 119.87 करोड़ का आहरण किया है.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) आस्तियों तथा देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

चाबू वर्ष 2021-22

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल
जमा राशि	12,750.62	22,568.14	15,505.37	24,224.17	31,592.76	34,111.25	77,995.40	1,47,057.37	1,20,848.10	86,172.71	4,59,566.76	1032392.63
अग्रिम	6,038.86	11,250.55	9,483.94	21,912.53	4,709.33	17,723.78	34,326.71	62,738.47	2,98,295.75	71,329.79	1,23,194.95	661004.66
निवेश	1,44,407.71	18,199.02	1,748.39	5,135.88	1,441.91	22,859.62	26,503.85	25,831.24	13,504.34	20,494.70	68,380.73	348507.39
उधार	803.30	778.30	602.84	1,132.91	831.74	1,104.87	1,713.57	5,643.17	19,676.78	3,676.24	15,215.38	51179.10
विदेशी मुद्रा की आस्तियां	4,900.56	2,797.74	2,961.84	2,339.01	3,635.01	5,975.17	4,771.74	5,434.65	10,170.15	7,449.49	27.23	50462.59
विदेशी मुद्रा की देयताएं	2,921.98	927.90	1,638.95	1,650.41	1,661.87	3,276.05	3,395.36	5,638.17	6,322.48	6,492.50	265.12	34190.79

विगत वर्ष 2020-21

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल
जमा राशि	11,694.42	18,607.02	13,760.66	23,523.19	37,021.49	31,306.22	68,591.32	1,07,186.17	1,08,382.66	73,551.34	4,30,180.85	9,23,805.34
अग्रिम	7,173.12	11,484.58	6,734.08	16,592.79	6,417.73	18,817.87	26,682.54	48,794.25	2,77,422.49	68,391.66	1,02,471.75	5,90,982.88
निवेश	1,00,670.43	11,906.20	1,008.94	2,560.90	1,178.82	3,305.04	18,365.60	18,003.07	36,339.39	26,551.54	1,11,621.87	3,31,511.79
उधार	802.64	636.06	-	1,146.47	1,932.10	868.80	10,393.24	1,283.94	18,242.36	2,176.49	14,355.00	51,837.11
विदेशी मुद्रा की आस्तियां	3,540.66	1,084.56	560.53	2,674.13	2,100.73	1,704.15	2,690.29	9,436.09	9,264.62	5,197.94	3,034.17	41,287.87
विदेशी मुद्रा की देयताएं	2,193.50	748.75	85.33	1,707.52	2,406.03	1,013.28	10,709.85	5,877.58	3,320.28	3,688.13	785.01	32,535.26

बी) तरलता कवरेज अनुपात

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{एचक्यूएलए}}{30 \text{ दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

जहां शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह = अधिकतम (नकद बहिर्प्रवाह-नकद अंतर्वाह), नकद बहिर्प्रवाह का 25%

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2019 से 100% निर्धारित की गयी है। एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है।

उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें भार रहित अर्थात् विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए। ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं। एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं। स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है।

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं। स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 2%) एवं एफएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 15%) शामिल है।

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है। स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारत के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं। स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है। स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रूप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं।

शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है। नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन रु. 7.5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीय ग्राहकों (एनएफसी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है। कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है।

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए रु. 2,80,230 करोड़ को बनाए रखा है। बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं। इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 96% योगदान है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात् कुल एचक्यूएलए का लगभग 52% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य / अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 4% है।

बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रूप में है। कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है। रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमशः लगभग 22% और 5% है। कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 38% गैर वित्तीय कॉर्पोरेट से जमा है। बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल है। कुल भारत नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 75% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है।

बैंक ने मार्च, 2022 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है। 67 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है। दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 184.89% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 175.38% है तथा कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन:

तिमाही	जून 2021	सितंबर 2021	दिसंबर 2021	मार्च 2022	वित्त वर्ष 2021-22
एलसीआर अनुपात:	168.64	174.79	184.89	175.38	175.79

मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

(₹ करोड़ में)

	मार्च 2021 तिमाही		जून 2021 तिमाही		सितंबर 2021 तिमाही		दिसंबर 2021 तिमाही		मार्च 2022 तिमाही	
	कुल मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां										
1 कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचयूपएलए)	2,64,062.48	2,60,800.07	2,75,196.22	2,71,883.86	2,65,905.75	2,62,849.21	2,80,876.87	2,78,152.33	2,80,230.24	2,77,655.44
नकदी बहिर्प्रवाह										
2 खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा राशियां, जिसमें से:										
(i) स्थिर जमा राशियां	2,81,301.96	14,065.10	2,81,890.54	14,094.53	2,82,346.59	14,117.33	2,82,787.93	14,139.40	2,86,287.44	14,314.37
(ii) घटाई गई स्थिर जमा राशियां	3,04,645.36	30,464.54	3,12,735.36	31,273.54	3,16,701.48	31,670.15	3,21,507.81	32,150.78	3,28,047.54	32,804.75
3 बेजमानती शोक निधियां, जिसमें से:	1,80,334.04	89,557.36	2,04,357.24	1,01,394.39	1,91,527.79	96,086.03	1,96,801.51	99,535.59	2,00,598.22	1,01,620.62
(i) परिवालानात्मक जमा राशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) रैर-परिवालानात्मक जमा राशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	1,80,334.04	89,557.36	2,04,357.24	1,01,394.39	1,91,527.79	96,086.03	1,96,801.51	99,535.59	2,00,598.22	1,01,620.62
(iii) बेजमानती ऋण										
4 जमानती शोक निधियां	328.26	-	193.83	0.50	72.81	0.95	711.59	-	422.26	7.72
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	1,47,079.47	18,817.13	1,71,242.05	24,952.04	1,34,084.61	19,434.41	1,19,680.83	17,766.57	1,32,737.42	21,653.42
(i) ड्रेविटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	3.26	3.26	4.29	4.29	1.29	1.29	3.96	3.96	27.26	27.26
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह										
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	1,47,076.22	18,813.87	1,71,237.76	24,947.75	1,34,083.32	19,433.12	1,19,676.87	17,762.61	1,32,710.16	21,626.16
6 अन्य संविदात्मक निधि बाध्याता	2,403.02	2,403.02	2,811.65	2,811.65	2,902.89	2,902.89	3,309.78	3,309.78	3,201.84	3,201.84
7 अन्य आकास्मिक निधि बाध्याता	70,781.69	2,123.52	68,839.14	2,065.72	89,814.09	2,694.72	89,807.54	2,694.65	90,030.40	2,700.94
8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह	9,86,874.20	1,57,431.05	10,42,096.85	1,76,619.41	10,17,476.69	1,66,932.92	10,14,634.53	1,69,624.32	10,41,325.12	1,76,303.66
नकदी अंतर्प्रवाह										
9 जमानती अधिम (उद्वहणार्थ रिवर्स शेरो)	22,092.64	0.00	23,562.42	0.00	19,302.56	-	32,741.96	-	36,175.58	0.02
10 पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	2,837.61	2,837.61	4,388.82	4,388.82	17,405.96	12,274.18	19,553.39	14,539.73	18,458.03	13,489.62
11 अन्य नकद अंतर्प्रवाह	14,986.30	10,513.76	15,775.61	11,006.78	4,278.02	4,278.02	4,644.91	4,644.91	4,499.09	4,499.09
12 कुल नकद अंतर्प्रवाह	39,916.56	13,351.37	43,726.85	15,395.60	40,986.54	16,552.21	56,940.26	19,184.64	59,132.70	17,988.73
13 कुल एचयूपएलए		2,60,800.07		2,71,883.86		2,62,849.21		2,78,152.33		2,77,655.44
14 कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		1,44,079.68		1,61,223.81		1,50,380.71		1,50,439.67		1,58,314.93
15 तरलता कवरेज अनुपात (%)		181.01%		168.64%		174.79%		184.89%		175.38%

सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात

i) गुणानात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की प्रतिरोध क्षमता को प्रोत्साहित करना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है। एनएसएफआर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के संगठन संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधियन प्रोफाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में उल्लिखित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ)} }{\text{आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ)}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया। यह कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर गणनीय है।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक के भारांकों द्वारा वर्णित किया जाता है।

आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोजरों के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधियन की आवश्यकता है। स्थिर निधियन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की तरलता विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं का कार्य है।

बैंक के एनएसएफआर का संक्षिप्त परिचय

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ) के मुख्य घटक पूंजी आधार, रिटेल जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधियन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधियन है। संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधियन का पूंजी आधार लगभग 9%, रिटेल जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 68% तथा थोक निधियन 21% हुआ है।

आवश्यक स्थिर निधियन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, रिटेल ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करने शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ का 82% होता है। उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित शेषराशि भी शामिल हैं। सरकारी ऋण जारी करने के पश्चात परिणामतः उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधियन को आकर्षित करती है। तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधियन का केवल 3% शामिल है। आवश्यक स्थिर निधियन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधियन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 15% शामिल हैं।

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधियन के ₹ 61,51,200 एमआईओ के सापेक्ष समेकित स्तर के ₹ 90,67,645 एमआईओ के उपलब्ध स्थिर निधियन सहित संतोषजनक स्थिर निधियन बफर को बरकरार रखा है, जिसके परिणामतः 31 मार्च, 2022 तक समेकित एनएसएफआर 147.41% हुआ है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

मार्च, 2022 तक समेकित एनएसएफआर का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूँजी: (2+3)	65,865.83	500.00	2,800.00	16,317.85	82,183.68
2	विनियामक पूँजी	65,865.83	0.00	0.00	862.85	66,728.68
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	500.00	2800.00	15,455.00	15,455.00
4	छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)	3,06,015.13	1,23,377.43	1,12,229.03	1,18,948.30	6,15,904.72
5	स्थिर जमा	1,57,204.34	16,642.91	16,092.51	19,955.67	2,00,398.44
6	अल्प स्थिर जमा	1,48,810.80	1,06,734.52	96,136.52	98,992.63	4,15,506.28
7	थोक निधियन: (8+9)	71,238.13	1,52,239.14	1,04,620.69	45,879.68	1,88,062.72
8	परिचालनात्मक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	71,238.13	1,52,239.14	1,04,620.69	45,879.68	1,88,062.72
10	अन्य देयताएं: (11+12)	38,317.01	6,967.54	4,843.17	20,613.39	20,613.39
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	38,317.01	6,967.54	4,843.17	20,613.39	20,613.39
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					9,06,764.50
	आरएसएफ मद					
14	उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफआर (एचक्यूएलए)					15,873.09
15	परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	39.04	0.00	0.00	0.00	19.52
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	2,238.58	1,71,639.17	36,535.76	5,58,433.59	5,05,993.64
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	97,166.19	1,253.47	24,561.57	28,446.79
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, रिटेल तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	70,851.92	28,600.27	4,25,903.02	3,89,150.15
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	40,631.05	3,716.58	1,12,683.89	95,418.35
21	निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से:	0.00	53.30	127.95	59,707.96	38,900.80
22	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	53.30	127.95	59,707.96	38,900.80

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
23	विनिमय-ट्रेडेड इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	2,238.58	3,567.75	6,554.07	48,261.04	49,495.90
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	78,600.04	11,828.54	0.00	1,996.47	87,378.54
25	स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद	0.00				0.00
26	व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान		2,012.38	0.00	0.00	1,710.52
27	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां		173.75	0.00	0.00	173.75
28	पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां		87.04	0.00	0.00	87.04
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	78,600.04	9,555.37	0.00	1,996.47	85,407.22
30	तुलन पत्रेत्तर मदें		1,17,104.57	0.00	0.00	5,855.23
31	कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)					6,15,120.01
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					147.41%

दिसंबर, 2021 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एसएफ़ मद					
1	पूंजी: (2+3)	62,753.57	2,000.00	2,800.00	14,786.49	77,540.06
2	विनियामक पूंजी	62,753.57	0.00	0.00	831.49	63,585.06
3	अन्य पूंजी लिखतें	0.00	2,000.00	2,800.00	13,955.00	13,955.00
4	छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)	2,91,263.39	1,18,467.55	1,09,715.66	1,11,179.33	5,87,966.14
5	स्थिर जमा	1,52,617.66	16,759.49	16,320.58	20,360.22	1,96,773.06
6	अल्प स्थिर जमा	1,38,645.73	1,01,708.06	93,395.08	90,819.10	3,91,193.08
7	थोक निधीयन: (8+9)	55,629.90	1,33,710.15	76,178.98	43,332.48	1,56,424.56
8	परिचालनात्मक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	55,629.90	1,33,710.15	76,178.98	43,332.48	1,56,424.56
10	अन्य देयताएं: (11+12)	41,872.99	11,593.17	3,758.01	19,924.50	19,924.50
11	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	41,872.99	11,593.17	3,758.01	19,924.50	19,924.50
13	कुल एसएफ़ (1+4+7+10)					8,41,855.26
	आरएसएफ़ मद					
14	उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)					15,136.56
15	परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	81.40	0.00	0.00	0.00	40.70
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	2,687.83	1,16,059.57	35,082.95	5,27,706.01	4,77,359.37

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परपिकवता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	55,981.66	2,680.71	18,102.89	23,076.16
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, रिटेल तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	57,154.35	27,380.93	3,81,801.94	3,52,760.45
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	26,427.64	1,452.57	69,858.67	59,348.24
21	निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से:	0.00	444.73	38.28	76,338.52	49,861.54
22	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	444.73	38.28	76,338.52	49,861.54
23	ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं।	2,687.83	2,478.84	4,983.02	51,462.66	51,661.21
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	81,378.60	15,406.78	0.00	2,294.83	92,250.30
25	स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद	0.00				0.00
26	व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के सदिग्ध निधि को अंशदान		1,849.64	0.00	0.00	1,572.19
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		214.76	0.00	0.00	214.76
28	पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		132.32	0.00	0.00	132.32
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	81,378.60	13,210.06	0.00	2,294.83	90,331.03
30	तुलन पत्रेत्तर मर्दे		2,22,048.26	93.78	0.00	9,301.27
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					5,94,088.20
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					141.71%

3. निवेश

ए) निवेश संविभाग का संगठन

यथा 31.03.2022

	भारत में निवेश										भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेअर	डिबेंचर एव बॉन्ड	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश				
परिपक्वता तक धारित															
सकल	1,99,238.04	-	59.71	56,762.49	343.61	346.90	2,56,750.75	--	1,148.71	0.40	1,149.11	2,57,899.86			
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	-	-	-	(80.00)	(5.00)	-	(85.00)	--	(1.43)	-	(1.43)	(86.43)			
निवल	1,99,238.04	-	59.71	56,682.49	338.61	346.90	2,56,665.75	--	1,147.28	0.40	1,147.68	2,57,813.43			
बिक्री के लिए उपलब्ध															
सकल	65,341.29	-	5,085.76	14,182.17	-	10,908.61	95,517.83	1640.39	-	45.62	1,686.01	97,203.84			
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	(2,840.17)	(1,481.55)	-	(1,742.43)	(6,064.15)	(30.20)	-	-	(30.20)	(6,094.35)			
निवल	65,341.29	-	2,245.59	12,700.62	-	9,166.18	89,453.68	1610.19	-	45.62	1,655.81	91,109.49			
ट्रेडिंग के लिए धारित															
सकल	(415.53)	-	-	-	-	-	(415.53)	--	-	-	-	(415.53)			
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	0.00	--	-	-	-	-			
निवल	(415.53)	-	-	-	-	-	(415.53)	--	-	-	-	(415.53)			
कुल निवेश	2,64,163.80	-	5,145.47	70,944.66	343.61	11,255.51	3,51,853.04	1,640.39	1,148.71	46.02	2,835.12	3,54,688.16			
घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(80.00)	(5.00)	-	(85.00)	-	(1.43)	-	(1.43)	(86.43)			
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	(2,840.17)	(1,481.55)	-	(1,742.43)	(6,064.15)	(30.20)	-	-	(30.20)	(6,094.35)			
निवल	2,64,163.80	0.00	2,305.30	69,383.11	338.61	9,513.08	3,45,703.90	1610.19	1,147.28	46.02	2,803.49	3,48,507.39			

नोट :

- सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम (भारत में & भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.
- गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
- मूल्यहास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.
- इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इन्श्योरेंस में 21% की हिस्सेदारी को बेचने के पश्चात हमारी धारिता घटकर 9% पर आ गयी है. अतः इसे सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम (एचटीएम) के स्थान पर इक्विटि प्राइवेट (एचटीएम) में वर्गीकृत किया गया है. आगे, एचटीएम से एएफएस संवर्ग में अंतरण हेतु आरबीआई से अनुमति मांगी गयी है.

यथा 31.03.2021

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश		
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेअर	डिबेंचर एंव बॉन्ड	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थायीय प्राधिकरण सहित)	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म		अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश
परिपक्वता धारित												
सकल	1,90,986.93	-	-	58,926.19	542.65	231.72	2,50,687.49	--	1,148.71	0.40	1,149.11	2,51,836.60
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	-	-	-	(30.00)	(5.00)	-	(35.00)	--	(1.39)	-	(1.39)	(36.39)
निवल	1,90,986.93	-	-	58,896.19	537.65	231.72	2,50,652.49	--	1,147.32	0.40	1,147.72	2,51,800.21
विक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	49,202.14	-	5,103.61	16,927.41	-	12,953.94	84,187.10	1,483.13	-	73.53	1,556.67	85,743.77
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	(44.16)	-	(3,087.40)	(1,467.95)	-	(1,590.96)	(6,190.47)	(0.55)	-	-	(0.55)	(6,191.02)
निवल	49,157.98	-	2,016.21	15,459.46	-	11,362.98	77,996.63	1,482.58	-	73.53	1,556.12	79,552.75
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	108.84	-	-	50.00	-	-	158.84	-	-	-	-	158.84
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(0.01)	-	-	(0.01)	-	-	-	0.00	0.01
निवल	108.84	-	-	49.99	-	-	158.83	-	-	-	-	158.83
कुल निवेश	2,40,297.91	-	5,103.61	75,903.60	542.65	13,185.66	3,35,033.44	1,483.13	1,148.71	73.93	2,705.78	3,37,739.22
घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(30.00)	(5.00)	-	(35.00)	-	(1.39)	-	(1.39)	(36.39)
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	(44.16)	-	(3,087.40)	(1,467.96)	-	(1,590.96)	(6,190.48)	(0.55)	-	-	(0.55)	(6,191.03)
निवल	2,40,253.75	0.00	2,016.21	74,405.64	537.65	11,594.70	3,28,807.96	1482.58	1,147.32	73.93	2,703.84	3,31,511.80

नोट :

1. सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम (भारत में & भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.
2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
3. मूल्यहास और एनपीआई के प्रावधान में विक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

बी) मूल्यहास तथा निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2020-21
i)	निवेशों पर मूल्यहास के धारित प्रावधान का विचलन		
	ए) प्रारम्भिक शेषराशि	6,227.42	6,316.07
	बी) योग: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	631.98	762.72
	सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बड़े खाते डालना	678.07	851.37
	डी) अंतिम शेषराशि	6,181.33	6,227.42
ii)	निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन		
	ए) प्रारम्भिक शेषराशि	1,279.29	0.00
	बी) योग: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	656.87	1,279.29
	सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी	0.00	0.00
	डी) शेषराशि	1,936.16	1,279.29
iii)	एएफएस तथा एएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेषराशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेषराशि	2.00	1.64

सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. उपर्युक्त से 5% प्रारंभिक सीमा अलग होगी:

- प्रतिभूतियों के एकबारगी हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में अधोगामी संशोधन के तदनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय.
- भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय.
- भारत सरकार द्वारा वापस खरीदने/परिचालन अंतरण के अंतर्गत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदना.
- बायबैक/स्विच परिचालन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों को पुनः खरीदना.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण.

डी) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

- गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
ए)	आरंभिक शेष	4,811.06	4,637.92
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	566.54	932.60
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	945.91	759.46
डी)	अंतिम शेष	4,431.69	4,811.06
ई)	कुल धारित प्रावधान	4,036.84	4,091.41

ii) गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी आबंटन की मात्रा		निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियों की मात्रा		गैर- निर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा		गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
ए)	पीएसयू	4,071.94	5,611.24	1,170.10	1,135.01		-	3,197.29	3,392.83	22.83	22.83
बी)	वित्तीय संस्थाएं	2,695.24	5,283.22	595.68	214.36		-		-		-
सी)	बैंक	2,057.83	1,938.63	1,850.15	598.43		-		-		-
डी)	निजी कॉर्पोरेट	29,301.27	29,878.49	24,005.23	19,378.01	456.28	944.62	413.54	216.39	138.94	33.75
ई)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	1,492.32	1,691.36	1,492.32	1,691.36						
एफ)	अन्य	50,905.77	53,038.37	47,310.71	47,277.50		-		-		-
जी)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान	(6,150.58)	(6,182.71)								
	कुल	84,373.79	91,258.60	76,424.19	70,294.67	456.28	944.62	3610.83	3609.22	161.77	56.58

ई) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा दिनांक 31.03.2022 तक बकाया
i)	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
	ए) सरकारी प्रतिभूतियां	14,387.54	15,973.43	14,893.63	15,365.43
	बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
	सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां	0.00	10.33	8.15	10.33
ii)	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
	ए) सरकारी प्रतिभूतियां	1,010.00	59,931.00	27,275.09	52,245.60
	बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
	सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां	--	--	--	--

एफ) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹ 2,120.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,844.94 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया।

जी) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹ 719.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 703.10 करोड़) हुआ है।

एच) शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर तथा म्यूचुअल फंड/वेंचर पूंजी फंड इक्विटी की इकाइयों और साथ ही अग्रिमों में भी किए गए कुल निवेश के सापेक्ष शेयर का योग ₹ 2,523.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,387.17 करोड़) है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए) अग्रिमों तथा धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2021-22	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए						
प्रारंभिक शेषराशि	5,63,896.13	13,489.56	50,540.50	25,758.14	89,788.20	6,53,684.33
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़					22,877.39	22,877.39
घटाएं: वर्ष के दौरान गिरावट*					33,078.53	33,078.53
अंतिम शेषराशि	6,36,820.81	11,040.55	49,449.47	19,097.04	79,587.07	7,16,407.87
*सकल एनपीए में गिरावट के कारण:					33,078.53	33,078.53
i) उन्नयन					7,742.82	7,742.82
ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					5,851.28	5,851.28
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े-खाते डालना					18,025.70	18,025.70
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बड़े खाते डालना					1,458.73	1,458.73
प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि	5,112.97	2,272.67	34,896.24	24,679.04	61,847.95	66,960.92
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					11,919.46	11,919.46
घटाएं: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बड़े खाते डालना					19,110.88	19,110.88
धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि	6,566.77	2,377.63	33,650.81	18,628.10	54,656.53	61,223.30
विविध जमा राशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुनर्संचित छोड़ी गई राशि					627.24	627.24
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेषराशि		11,197.34	15,165.99	917.19	27,280.52	27,280.52
जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़					10,986.46	10,986.46
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाव					13,963.68	13,963.68
अंतिम शेषराशि		8,659.30	15,524.13	119.87	24,303.30	24,303.30
अस्थिर प्रावधान						
प्रारंभिक शेषराशि						306.20
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान						--
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि						306.20
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि						शून्य

वित्त वर्ष 2021-22	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ						
तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि						55,877.88
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना						17,611.07
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ						4,808.52
अंतिम शेषराशि						68,680.43

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2020-21	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि	5,68,924.76	16,188.46	60,352.10	20,651.98	97,192.54	6,66,117.30
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़					17,442.68	17,442.68
घटाएं: वर्ष के दौरान गिरावट					24,847.02	24,847.02
अंतिम शेष राशि	5,63,896.13	13,489.56	50,540.50	25,758.14	89,788.20	6,53,684.33
*सकल एनपीए में गिरावट के कारण:					24,847.02	24,847.02
i) उन्नयन					2,674.49	2,674.49
ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					5,189.88	5,189.88
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना					14,746.88	14,746.88
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना					2,235.77	2,235.77

प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)

धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेष राशि					65,229.57	65,229.57
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					13,912.19	13,912.19
घटाएं: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना					17,293.81	17,293.81
धारित प्रावधान की अंतिम शेष राशि	5,112.97	2,272.67	34,896.24	24,679.04	61,847.95	66,960.92

वित्त वर्ष 2020-21	मानक		गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुनर्संचित छोड़ी गई राशि					659.73	659.73
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि					31,324.63	31,324.63
जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़					14,406.62	14,406.62
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाव					18,450.73	18,450.73
अंतिम शेषराशि		11,197.34	15,165.99	917.19	27,280.52	27,280.52
अस्थिर प्रावधान						
प्रारंभिक शेषराशि						306.20
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान						--
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि						--
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि						306.20
तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ						
तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि						46,139.52
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना						14,746.88
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ						5,008.52
अंतिम शेष राशि						55,877.88
अनुपात (प्रतिशत में)						
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों					2021-22	2020-21
					11.11	13.74
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों					3.68	4.62
प्रावधान कवरेज अनुपात					83.61	81.27

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना भारिबैं/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार बैंकों को उनके संबंधित बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात एनपीए के लिए विशेष प्रावधानों को करने के लिए उनके द्वारा 31 दिसंबर, 2020 तक धारित अस्थिर प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के 100% का उपयोग करने की अनुमति है. बैंकों ने अपने निदेशक मण्डल से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया है तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही/वर्ष के दौरान विशेष एनपीए प्रावधान को करने के लिए ₹ 306.20 करोड़ की राशि के अस्थिर प्रावधान का उपयोग किया है.

बी) क्षेत्र-वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	2021-22			2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1,24,395.26	13,543.61	10.89	116,944.15	14,379.97	12.30
बी)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	39,765.31	8,167.11	20.54	42,785.42	10,124.17	23.66
सी)	सेवाएं	75,149.63	13,349.25	17.76	79,639.65	14,899.51	18.71
डी)	वैयक्तिक ऋण	39,275.53	2,098.46	5.34	40,258.40	2,389.44	5.94
	उप-योग (i)	2,78,585.73	37,158.43	13.34	2,79,627.62	41,793.09	14.95
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	8,696.56	1,863.22	21.42	3193.75	126.81	3.97
बी)	उद्योग	1,43,378.04	20,574.40	14.35	1,26,763.50	26,357.31	20.79
सी)	सेवाएं	1,65,324.21	13,950.23	8.44	1,14,066.55	13,757.81	12.06
डी)	वैयक्तिक ऋण	1,20,423.35	6,040.79	5.02	1,30,032.91	7,753.18	5.96
	उप-योग (ii)	4,37,822.16	4,24,28.64	9.69	3,74,056.71	47,995.11	12.83
	कुल (i+ii)	7,16,407.88	79,587.07	11.11	6,53,684.33	89,788.20	13.74

उद्यमों के विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:

क्र. सं.	उद्यम	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
i	मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद	16,014	4,557	28.46	23,567	3,376	14.33
ii	निर्माण	40,734	8,898	21.84	49,592	8,415	16.97
iii	फूड विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग	18,758	5,101	27.19	20,479	4,439	21.68

सी) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल आस्तियां	26,418.31	23,148.91
कुल एनपीए	2,265.25	2,545.74
कुल राजस्व	426.24	564.94

- डी) (i) आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/31.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के तहत संकल्प योजना एवं पुनर्निर्माण का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	निवेश मूल्य	धारित प्रावधान
आरबीआई जून, 2019 परिपत्र के आधार पर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	4	36.31	30.01

- (ii) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि एवं एमएसएमई को छोड़कर)		कुल		
	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	455	6,683	11	32	1,25,209	1,05,979	31,416	70,032	1,57,091	1,82,926
	सकल राशि	20.00	332.44	2,346.09	9,246.36	4,971.50	5,707.11	3,824.40	9,533.55	11,161.98	24,819.45
	धारित प्रावधान	0.52	32.64	148.98	673.44	186.68	435.10	317.83	949.69	654.01	2,090.87
उपमानक	उधारकर्ताओं की संख्या	70	579	0.00	2	16,383	34,772	532	3,088	16,985	38,441
	सकल राशि	4.92	14.45	0.00	72.94	799.37	1,008.81	129.27	298.33	933.56	1,394.52
	धारित प्रावधान	0.75	2.24	0.00	13.15	120.98	160.32	19.60	46.61	141.33	222.32
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या	1368	1224	87	67	8,784	21,852	863	1,202	11,102	24,345
	सकल राशि	220.96	207.61	11,300.20	10,144.05	1,653.15	2,032.77	30.02	153.34	13,204.34	12,537.77
	धारित प्रावधान	190.63	172.95	10,847.35	8,817.41	1,208.40	1,349.91	20.87	88.94	12,267.25	10,429.20
हानि	उधारकर्ताओं की संख्या	27	54	66	59	241	2,144	158	1,814	492	4,071
	सकल राशि	99.11	171.34	5,966.81	6,972.99	452	564.96	8.38	89.14	6,526.29	7,798.43
	धारित प्रावधान	99.11	171.31	5,676.18	6,968.74	451.36	567.01	7.73	89.00	6,234.38	7,796.06
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	1920	8740	164	160	1,50,617	1,64,747	32,969	76,136	1,85,670	2,49,783
	सकल राशि	344.99	725.83	19,613.10	26,436.34	7,876.02	9,313.65	3,992.07	10,074.36	31,826.18	46,550.18
	धारित प्रावधान	291.01	379.13	16,672.51	16,472.75	1,967.42	2,512.33	366.03	1,174.23	19,296.97	20,538.45

आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

- ई) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के क्रम में बैंक को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी कार्यक्रम के कारण जोखिम एवं पूंजी के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होता है, जहां निम्नांकित में से दोनों या कोई एक शर्त के पूरा होने पर:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकित किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण वरीयता अवधि के लिए प्रावधानों एवं आकस्मिकताएं से पहले रिपोर्ट किए गए से 10 प्रतिशत अधिक हैं, और;
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए वरीयता अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत अधिक हैं.

चूंकि विचलन निर्दिष्ट प्रारम्भिक सीमा के अंतर्गत हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षित है.

एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

- i) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने किसी भी ऋण को संदिग्ध में अंतरित नहीं किया है।
- ii) समनुदेशन के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें संदिग्ध में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
अर्जित ऋणों की कुल राशि	1,962.42	--
अवशिष्ट परिपक्वता का कुल भारांक (माह में)	144.00	--
प्रवर्तक द्वारा धारित अवधि का कुल भारांक (माह में)	20.42	--
प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण	10.00%	--
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	273.96%	--

प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है।

- iii) बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी अनर्जक आस्ति प्राप्त नहीं की है।
- iv) अंतरित किए गए अनर्जक ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष 2021-22

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	8	शून्य	शून्य
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	1,181.38		
अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक	शून्य		
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	108.59		
कुल प्रतिफल	623.60		
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	28.52		

वित्त वर्ष 2020-21

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	3	शून्य	शून्य
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	365.62		
अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक	शून्य		
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	46.22		
कुल प्रतिफल	188.46		
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य		

नोट : वर्ष के दौरान, दबावग्रस्त परिसंपत्ति के बिक्री के कारण ₹ 511.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 163.12 करोड़) के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया गया था।

- v) 31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

वसूली रेटिंग बैंड	बही मूल्य (₹ करोड़ में)	
	यथा 31.03.2022	यथा 31.03.2021
आरआर 1+	12.33	14.58
आरआर 1	878.44	824.04
आरआर 2	303.07	534.67
आरआर 3	148.63	254.89
आरआर 4	382.41	331.60
आरआर 5	376.79	261.89
आरआर 6	25.30	17.49
गैर-चिन्हित	78.23	79.39
कुल	2,205.20	2318.55

31 मार्च, 2022 के दौरान एसआर पोर्टफोलियों में किसी नए एसआर को शामिल नहीं किया गया है।

जी) धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या	638	579
धोखाधड़ी में शामिल राशि	3,942.37	12,791.43
ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि	3,554.83	9,830.78
वर्ष के अंत तक "अन्य आरक्षित" से डेबिट किए गए अमूर्त प्रावधान की राशि	119.87	937.89

- एच) कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचे के अनुसार आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	(ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 30.09.2021 तक स्थिति	(बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण	(सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बड़ेखाते डाली गई राशि	(डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 31.03.2022 तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	9,689.80	223.77	-	222.72	9,243.31
कॉर्पोरेट व्यक्ति	8,188.63	2,036.67	-	429.90	5,659.06
जिसमें से, एमएसएमई	302.85	0.00	-	9.92	292.93
अन्य	340.51	11.68	-	2.24	326.59
कुल	18,218.94	2,272.12	-	717.86	15,228.96

आई) "आग्रियों की पुनरसंरचना सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनरसंरचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.एसटीआर.आरईसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर.एसपीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्संरचित किया है:

पुनर्संरचित किए गए खातों की संख्या	₹ करोड़ में
1,65,685	7,356.71

जे) वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्र	यथा 31.03.2022 तक स्थिति	
	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार	47810	6371.65
कृषि/संबद्ध	7465	372.84
कुल	55275	6744.49

के) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक 12 खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि	(बी) में से यथा 31.03.2022 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	(ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान	31.03.2022 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
3,893.04	2,665.83	2,665.83	1,219.13	1,219.13

आई) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर क्र. बीपी. 15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर क्र. बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31.03.2022 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹ 13,756 करोड़ का प्रावधान किया है.

5. एक्सपोजर

ए) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	91,038.56	92,742.69
ए)	आवासीय बंधक-आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं;	76,189.00	78,513.68
	उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रियों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	34,702.00	38,020.20

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बी)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं.	14,849.56	14,229.01
सी)	बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर - i. आवासीय, ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर.	44,862.16	35,195.26
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	1,35,900.72	1,27,937.95

बी) पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1,364.85	1,284.63
ii)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	1.32	6.45
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	319.28	372.31
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स / परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	825.61	1,264.64
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	393.50	452.23
vi)	शेयरों/ बॉन्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण	--	25.00
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	--	--
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	--	--
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	--	--
x)	वेंचर पूँजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूँजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा.	1,158.92	1,102.54
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	4,063.48	4,507.80

सी) जोखिम संवर्ग-वार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2022	धारित प्रावधान 31.03.2022	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2021	धारित प्रावधान 31.03.2021
अपर्याप्त	16,345.90	शून्य	16,661.26	शून्य
अल्प	13,396.01	शून्य	9,989.26	शून्य
सामान्य	390.84	शून्य	286.23	शून्य
उच्च	1.18	शून्य	0.65	शून्य
अत्यधिक उच्च	5.28	शून्य	0.00	शून्य
सीमित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
ऑफ-क्रेडिट	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	30,139.21	शून्य	26,937.40	शून्य

कंट्री जोखिम नीति 2021-22 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है।

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है।

डी) बेजमानती अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्थिक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ई) फेक्टरिंग एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
डीबीआर.नं.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर.	543.54	391.80

एफ) इंद्रा गुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	490.44	399.99
20 बड़े इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	490.44	399.99
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.05	0.05
इंद्रा गुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य	शून्य

जी) अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

यूएफसीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर एक नीति अनुमोदित की है। बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है। मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए कुल प्रावधान रु. 30.49 करोड़ किया गया।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

ए) जमाराशियों का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	97,755.30	73,698.36
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	9.47	7.99%

बी) अग्रिमों का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	1,04,418.65	71,722.59
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत.	14.35	10.83%

सी) एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,39,132.22	1,11,126.87
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	14.57	13.09%

डी) एनपीए का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	11,098.86	16,716.74
कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत	13.95	18.62

7. डेरीवेटिव्स

ए) वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि प्रतिपक्षों	17,840.00	10,690.00
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	110.71	239.17
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	4.96	20.04

नोट:

- I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.
- II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार)				
	ए) 577GS2030	70.00	70.00	129.98	130.03
	बी) 585GS2030	1,963.00	1,963.00	--	--
	सी) 664GS2035	428.00	428.00	--	--
	डी) 610GS2031	3,035.02	3,035.02	--	--
ii)	31 मार्च, 2022 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)				
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)				
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)*				

सी) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटन:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है।

- i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार
- ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वेप, क्रॉस करेंसी स्वेप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है।

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और वायदा ब्याज दर में कारोबार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है। बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है। नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है।

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है। नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है।

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है। स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वेप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है। हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमों भी बढ़ जाती है। बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं।

ए) आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है।

- I) फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रूम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है।
- II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- III) बैंक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन।

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है। मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है।

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

बैंक कुछ बैंकों के साथ ऋण सहायक अनुबंध (सीएसए) में शामिल हुआ है। सीएसए नियम एवं शर्तों को विनियमित करने वाला विधिक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय ऋण संव्यवहार में प्रतिपक्षों के ऋण जोखिम को कम करने के लिए संपार्श्विक पोस्ट किया गया है।

- बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है। ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे।

- सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मर्दों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

- डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।

ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटन					
क्र.	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		करेंसी डेरीवेटिव्स	बयाज दर डेरीवेटिव्स	करेंसी डेरीवेटिव्स	बयाज दर डेरीवेटिव्स
(ए)	डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	(i) हेजिंग के लिए	370.64	2180.00	741.97	4,550.00
	(ii) ट्रेडिंग के लिए	4,44,008.28	15,660.00	2,30,474.48	6,140.00
(बी)	बाजार स्थिति को अंकित				
	(i) आस्तियां (+)	1,818.71	88.38	1,306.63	104.25
	(ii) देयताएं (-)	-1,683.63	-88.67	-1,181.82	-109.74
(सी)	ऋण एक्सपोजर (*)	11,041.95	267.08	8,365.85	325.92
(डी)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100डपीवी01) (लाख में)				
	(i) हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.00	4,392.29	0.00	5,421.60
	(ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.00	134.01	0.00	385.98
(ई)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100डपीवी01 (लाख में)				
	I. अधिकतम				
	(i) हेजिंग पर	0.00	5,454.20	0.00	10,201.70
	(ii) ट्रेडिंग पर	0.00	2,345.28	0.00	581.71
	II. न्यूनतम				
	(i) हेजिंग पर	0.00	1,407.51	0.00	5,409.62
	(ii) ट्रेडिंग पर	0.00	22.40	0.00	3.84

डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप:

वित्त वर्ष 21-22 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप संव्यवहार नहीं किया.

8. सिक्युरिटाइजेशन संबंधी प्रकटन: शून्य
9. बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी: शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	2,375.24	1,914.71
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित की गयी राशि	545.18	490.35
घटाएं : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	43.33	29.82
डीईएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	2,877.09	2,375.24

11. शिकायतों का प्रकटन:

बैंकों को ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
क्र.		विवरण	2021-22	2020-21
1.		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	10,780	2,872
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	3,28,216	4,15,035
3.		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	3,37,601	4,07,127
	3.1	जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए	415	1131
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	1,395	10,780
बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें				
5.		से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या	7,971	8,544
	5.1	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या	7,229	6,446
	5.2	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या	740	1182
	5.3	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें.	2	8
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा)	0	0

नोट:-

- 1) रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है. हालांकि, सीएमएस साइट से एकत्रित उपरोक्त डेटा में खंड 11 के अनुसार समझौते द्वारा निपटान किया गया है एवं साथ ही साथ लोकपाल योजना 2006 के खंड 13 के अनुसार अस्वीकृत शिकायतों को भी शामिल किया गया है, जो कि पत्र व्यवहार के अधीन है.

(₹ करोड़ में)

बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)

शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 से में कितनी शिकायतें, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (2021-22)					
एटीएम/ डेबिट कार्ड	4,583	2,13,956	-26.73	324	50
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	344	62,068	1.61	213	-
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक प्रभार/ फोर्कलोजर प्रभारों के प्रभार लगाना	2,389	10,355	23.19	47	71
चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	52	3410	-36.03	11	-
क्रेडिट कार्ड	27	3194	-17.10	32	17
अन्य	3,385	35,233	-20.51	768	60
कुल	10,780	3,28,216	-20.92	1395	198
पिछला वर्ष (2020-21)					
एटीएम/ डेबिट कार्ड	1,250	2,92,035	3.30%	4,583	2,342
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	214	61,087	44.16%	344	205
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक प्रभार/ फोर्कलोजर प्रभारों के प्रभार लगाना	171	8,406	37.51%	2,389	1,746
चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	20	5331	129.48%	52	24
ऋण एवं अग्रिम	16	3853	146.04%	27	8
अन्य	1,201	44,323	146.48%	3,385	1,847
कुल	2,872	4,15,035	17.39%	10,780	6,172

12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

नियामक का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	1	1.00	-	-
अन्य नियामक	1	0.46	-	-

13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	राशि	राशि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.37	0.34
कार्यपालक निदेशकगण	1.21	1.11
कुल	1.58	1.45

14. अन्य प्रकटन

ए) कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)			
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	6.11	6.34
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	1.13	1.08
iii)	जमा राशि की लागत	4.12	4.66
iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.71	2.47
v)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत	1.97	1.81
vi)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.47	0.27
vii)	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹. करोड़ में)	20.48	19.23
vi)	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹. करोड़ में)	0.07	0.04

बी) बैंकाश्योरेंस कारोबार:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)			
क्र.	आय का स्वरूप	31.03.2022	31.03.2021
1.	जीवन बीमा पॉलिसी	170.24	142.13
2.	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	48.14	48.72
3.	स्वास्थ्य बीमा	38.03	32.37

सी) विपणन एवं संवितरण

विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंकाश्योरेंस कारोबार को छोड़कर):

(₹ करोड़ में)			
क्र.	आय का स्वरूप	31.03.2022	31.03.2021
1.	म्यूचुअल निधि कारोबार का संवितरण	17.66	17.34

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के अन्य आय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्र की बिक्री से ₹. 143.26 करोड़ का कमीशन आय शामिल है. पीएससीएल प्रमाणपत्र का व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	व्यापारित मूल्य
पीएसएलसी-सामान्य	5,157
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान	3,700
कुल	8,857

ई) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

	(₹ करोड़ में)	
लाभ एवं हानि मद में प्रदर्शित प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप:	31.03.2022	31.03.2021
निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(प्रवर्तन)	214.61	966.86
एनपीए पर प्रावधान	11,613.25	13,595.75
एकीकरण पर प्रावधान (निम्न नोट का संदर्भ लें)	--	323.86*
मानक आस्तियों पर प्रावधान/(प्रवर्तन)	1,449.02	1,245.63
आय कर (आईटी)/ आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान	3,347.31	(506.55)
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:		
- स्थानांतरण हानि	--	--
- पुर्नसंरचित अग्रिम	(32.94)	81.87
- अन्य	49.83	1,053.54
कुल	16,641.08	16,760.96

* यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के कारण बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 323.86 करोड़ का अतिरिक्त एकीकरण प्रावधान किया है।

एफ) भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी-एस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी-एस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था। तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर, 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है। तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा आईएनडी एस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्मा वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 25 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1,083.45	1,000.28
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में एरियर	--	--

15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

ए. राजस्व पहचान (एस 9)

आय के कुछ मदों को छोड़कर उपचय आधार पर आय एवं व्यय की गणना महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसूची 17 के लेखांकन नीति क्र. 3.4 के अनुसार वास्तविक आधार पर की गई, जो कि मूर्त नहीं मानी जाएगी।

बी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)
i) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूट रहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:
ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 120.35 करोड़ एरियर सहित रु. 501.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 297.92 करोड़) का अंशदान किया है।

बी) निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की बीमाकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	परिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,355.82	26,011.41	2,738.03	24,553.31
	ब्याज लागत	232.56	1,797.39	187.28	1,667.17
	चालू सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
i)	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	1902.02	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	परिवर्तन के कारण - बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि				
	वित्तीय धारणा में	(119.57)	(1,446.34)		
	जनसांख्यिकी धारणा में	2.86	63.46	(26.36)	(247.67)
	बाध्यताओं पर बीमांकिक(अर्जन)/ हानि	30.86	2,452.27	752.31	1,456.27
	वर्ष के अंत में देयताएं	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41
	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,746.43	26,720.88	2,671.12	23,145.31
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	अंशदान	843.37	551.42	291.35	3,605.19
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(लाभ भुगतान)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
ii)	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	(85.85)	1,069.39	725.95	1,208.60
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	संक्रमणकालीन देयता की पहचानी				
iii)	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/ (हानि)	53.31	266.31	34.41	81.65
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	243.64	2,112.72	217.11	1,653.22
	आय विवरण में चिन्हित व्यय:				
	वर्तमान सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
	ब्याज लागत	42.23	(49.02)	4.58	95.60
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v)	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5)	शून्य	380.40	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित व्यय	64.19	1,346.76	833.83	1,487.72

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	तुलन पत्र समाधान:				
vi)	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	609.39	(709.47)	66.91	1,408.00
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(843.37)	(551.42)	(291.35)	(3,605.19)
	तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/ देयता राशि	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)
	अन्य ब्यौरे:				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यक्षीन है.				
	ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
vii)	वर्ष के दौरान बीमाकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	75,201	23,216	78,203	28,235
	वेतन प्रति माह	354.44	182.95	354.09	210.64
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	592.76	354.09	-
	आस्तियां का संवर्ग:				
	भारत सरकार की आस्तियां	63.45	585.14	64.56	601.59
	कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफडीआर	36.15	721.81	96.29	1029.07
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
viii)	राज्य सरकार	101.17	1185.78	125.89	1150.74
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	244.10	1733.36	185.67	1,426.35
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2897.20	22,492.80	2,252.98	22,235.49
	म्युच्युअल फंड	25.53	324.61	21.04	277.64
	कुल	3,367.60*	27,043.50*	2746.43	26,720.88

*नोट: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेंशन और उपदान देयता की गणना 7.00% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2021-22 में उचित मूल्य की योजना आस्तियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर प्रतिकूल पेंशन की गणना के लिए 7.25% जबकि उपदान देयता की गणना के लिए 7.00% मानी गई है.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी :	ग्रैच्युटी योजना				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
वर्ष के अंत में देयताएं	3,197.81	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00
अंतर	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	ग्रैच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	30.86	752.31	25.87	7.91	(142.26)
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	53.31	34.41	7.20	(13.03)	10.64

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन योजना				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
वर्ष के अंत में देयताएं	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00
अंतर	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41	311.68
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	1521.62	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41	311.68

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	266.31	81.65	75.23	7.18	(21.39)

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2021-2022		2020-2021	
	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
पिछली छूट दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
चालू छूट दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

iii) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2022	31.03.2021
1.	पेंशन	1,346.76	1,487.72
2.	अवकाश यात्रा रियायत	13.41	27.45
3.	अवकाश नकदीकरण	48.70	102.29

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमार अवकाश के लिए रु. 236.12 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है।

iv) अपरिशोधित पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
पेंशन		
ए) आगे की गई शेष राशि	शून्य	शून्य
बी) सकल देयता	1,902.02	शून्य
सी) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	380.40	शून्य
डी) आगे ली गई शेष राशि	1,521.62	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य

- v. दिनांक 11 नवंबर, 2020 के XI द्वि-पक्षीय समझौता तथा संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में अतिरिक्त देयता हेतु संवर्धन को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रु. 1902.02 करोड़ किया गया। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र भारिबैं/2021-22/105 डीओआर/एसीसी/आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के क्रम में, बैंकों को उक्त देयता में, 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष सहित पाँच वर्षों तक परिशोधन करना अनुमत है। तदनुसार, बैंक ने उक्त देयता को पांच वर्षों तक परिशोधित करने का निर्णय लिया तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ/हानि खाते में रु. 380.40 करोड़ के अपरिशोधित व्यय शेषराशि को आगामी 4 वर्षों के लिए परिशोधन हेतु आगे लिया है। यदि लाभ या हानि खाते में अप्रभारित व्यय को पूर्णतः लिया जाए, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु. 3710.48 करोड़ होगा।

सी) क्षेत्रवार रिपोर्ट (एस-17)

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंडअलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापारीक्षित)	(लेखापारीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेज़री परिचालन	26,815.66	27,789.92
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	26,198.04	24,817.48
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	25,776.79	26,541.51
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,397.64	1,371.55
5	गैर आबंटित	403.35	133.91
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	80,591.48	80,654.37
	घटाएं अंतर क्षेत्रवार राजस्व	(122.7)	(142.54)
	परिचालन से आय	80,468.78	80,511.83
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेज़री परिचालन	6,002.74	6,157.83
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,508.68	4,197.57
3	कॉर्पोरेट बैंकिंग	(3,093.72)	(8,823.12)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	758.37	733.23
5	गैर आबंटित	403.35	133.91
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि)	8,579.42	2,399.42
(सी)	कर हेतु प्रावधान	3,347.31	(506.55)
(डी)	कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	5,232.11	2,905.97
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेज़री परिचालन	4,78,735.97	4,27,941.43
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,18,913.6	2,77,171.79
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,68,181.73	3,41,941.30
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित	21,759.76	24,651.32
	कुल	11,87,591.06	10,71,705.84
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेज़री परिचालन	4,70,252.54	4,19,807.14
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	2,90,449.81	2,53,344.66
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,35,313.11	3,10,531.92
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित	20,999.47	23,545.40
	कुल	11,17,014.93	10,07,229.12

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंडअलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापारीक्षित)	(लेखापारीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(जी)	नियोजित पूंजी		
1	ट्रेज़री परिचालन	8,483.43	8,134.29
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	28,463.79	23,827.13
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	32,868.62	31,409.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	–	–
5	गैर आबंटित देयताएं	760.29	1,105.92
	कुल	70,576.13	64,476.72

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, एस-17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं.
3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है.

डी. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एस - 18)**i. संबंधित पार्टियों की सूची****ए) समनुषंगी**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.
- आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड.
- यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड.

बी) संयुक्त उद्यम

- स्टार यूनियन दार्ई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड.
- इंडिया फस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सी) सहायक संस्था

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक
श्री राजकिरण रे जी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.37
श्री गोपाल सिंह गुसाई @	कार्यपालक निदेशक	0.26
श्री दिनेश कुमार गर्ग *	कार्यपालक निदेशक	0.15
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	0.31
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.30
श्री रजनीश कर्नाटक #	कार्यपालक निदेशक	0.14
श्री निधु सक्सेना ^	कार्यपालक निदेशक	0.05

@ 31.01.2022 तक

* 30.09.2021 तक

21.10.2021 से

^ 01.02.2022 से

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस-18 के पैरा 6 के अनुसार, बैंक ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है।

ई. "लीज" परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के पास कोई भी अस्वीकार किए जाने वाले परिचालन लीज नहीं है। अतः एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है। हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि रु. 816.15 करोड़ (प्रति वर्ष रु. 835.15 करोड़) मानी गई है।

एफ. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारत औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारत औसत के माध्यम से की गयी है।

प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,40,68,44,355	6,40,68,44,355
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	42,79,03,111	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	6,40,68,44,355
प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	6,77,26,13,590	6,40,68,44,355
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	6,77,26,13,590	6,40,68,44,355
शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में	5,232.11	2,905.98
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	7.73	4.54
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹)	7.73	4.54
प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹)	10.00	10.00

जी. कर हेतु प्रावधान:

i. आस्थगित कर (एस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	आस्थगित कर आस्ति		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	474.78	457.76
2	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	358.42	299.18
3	अन्य प्रावधानों के कारण	14,069.38	18,146.08
4	विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष (रिजर्व)	1.14	36.50
5	मानक आस्ति	588.37	-
	कुल	15,492.08	18,939.52
	आस्थगित कर देयताएं		
1	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	1,092.63	1,104.51
2	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	2,107.08	1,924.67
3	निवेश पर मूल्यहास	-	237.86
	कुल	3,199.71	3,267.04
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	12,292.37	15,672.48
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

ii. प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,347.31	(506.55)

कॉर्पोरेट कर निर्धारण:

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है। लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है। समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है।

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो। वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है।

एच. संयुक्त उपक्रम में निवेश (एएस-27)

निवेश के अंतर्गत रु. 236.68 करोड़ (गत वर्ष रु. 435.72 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है।

आई. की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

जे. आकस्मिक देयतायें (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

के. बैंक ने 01 अप्रैल, 2021 के प्रभाव से एनपीए खातों (उन खातों के अलावा जिनमें समायोजन के तरीके को उधारकर्ता एवं बैंक के मध्य विशेष रूप से स्वीकार किया गया है) में वसूली के समायोजन के तरीके को परिवर्तित किया है। तदनुसार, ऐसे एनपीए खातों में वसूलियों को पहले ही अवधियों में किए जाने वाली प्रक्रिया के विपरीत अब पहले ब्याज में और फिर मूलधन में समायोजित किया जाता है। लेखांकन नीति में परिवर्तन ने तिमाही में रु. 495.26 करोड़ तथा वर्ष में रु. 1081.77 करोड़ तक ब्याज आय में वृद्धि की है और परिणामस्वरूप सकल एनपीए में समान राशि की कमी हुई है।

एल. चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है (एएस 5 के अनुसार) एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार)।

एम. पर्यावरण नियंत्रण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की "सतत विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति" नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 30.03.2022 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

एन. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी, भारत ने कोविड-19 महामारी की और दो लहरों और देश के कुछ भागों में स्थानीय/ क्षेत्रीय लॉकडाउन को पुनः लागू किए जाने का सामना किया। बैंक लगातार इस परिस्थिति की निगरानी कर रहा है और ग्राहकों तक पहुँच स्थापित करने एवं पूर्ण बैंकिंग परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए विविध डिजिटल प्रयासों सहित सभी संभव पहल कर रहा है। बैंक, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विविध प्रयासों एवं उठाए गए कदमों और टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन यह मानता है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और चल रही संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ओ. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान

- विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/ मिलान प्राप्त कर लिया गया है/ किया गया है.
- उच्चत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.
- उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

पी. एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनः समेकित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(पंकज कुमार) उप महाप्रबंधक		(प्रफुल्ल कुमार सामल) मुख्य वित्तीय अधिकारी
(निधु सक्सेना) कार्यपालक निदेशक	(रजनीश कर्नाटक) कार्यपालक निदेशक (राजकिरण रे जी.) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	(नितेश रंजन) कार्यपालक निदेशक
(समीर शुक्ला) निदेशक	(अरुण कुमार सिंह) निदेशक	(सूरज श्रीवास्तव) निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर) निदेशक	(डॉ. जयदेव मद्दुगुला) निदेशक	(प्रीति जय राव) निदेशक
कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 002785S	कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन 109262W/W100673	कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 108959W
सीए पी. एम. वीरामनी भागीदार सदस्य सं. 023933 यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267	सीए गिरिराज सोनी भागीदार सदस्य सं. 109738 यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016	सीए सचिन वी. लूथरा भागीदार सदस्य सं. 109127 यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530
कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 005223C	कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 002803C	कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 110100W
सीए शरद बंसल भागीदार सदस्य सं. 423507 यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410	सीए गौतम शर्मा भागीदार सदस्य सं. 79225 यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594	सीए प्रदीप जे. शेट्टी भागीदार सदस्य सं. 046940 यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स. विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ए परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:		
कर से पहले निवल लाभ	8,57,941	2,39,941
निम्न के लिए समायोजन :		
अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	73,809	89,523
निवेशों के लिए प्रावधान	21,461	55,922
गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	11,61,326	13,91,961
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,36,521	1,37,517
स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	-	86,605
अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	10,072	13,983
अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	35	(761)
उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	1,55,133	1,59,660
संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश	(3,019)	(2,016)
उप योग	24,13,280	21,72,334
निम्न के लिए समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,08,58,729	55,17,273
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(90,800)	4,81,492
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(17,40,928)	(51,75,058)
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(81,63,505)	(5,07,273)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	4,45,843	(7,04,838)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(1,73,612)	96,730
आरक्षित से/में अंतरण	72,382	1,63,638
परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	36,21,389	20,44,299
बी निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
अचल संपत्तियों की खरीद	(73,970)	(70,444)
अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के आगम	15,382	9,739
सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि) / कमी	19,907	421
सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री	--	--
निवेशों से प्राप्त लाभांश	3,019	2,016
निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(35,662)	(58,268)
सी वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	1,44,208	--
पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	7,00,000	3,70,500
पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(5,40,000)	(3,85,000)
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(2,25,801)	(16,93,479)
उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,55,133)	(1,59,660)
वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(76,726)	(18,67,639)
समामेलन पर नकदी एवं नकदी समकक्ष (डी)	--	28,12,022
नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/ (कमी) (ए)+(बी)+(सी)	35,09,001	29,30,413
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,41,035	55,10,622
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,50,036	84,41,035

बैंक परिपुष्टय

नाटिश

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स. विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		
डी वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	01.04.2021	31.03.2020
नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	37,88,046	20,11,830
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	46,52,989	34,98,792
वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,41,035	55,10,622
ई वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	31.03.2022	31.03.2021
नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	46,11,259	37,88,046
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	73,38,777	46,52,989
वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,50,036	84,41,035

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(पंकज कुमार)

उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(निधु सक्सेना)

कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)

कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(समीर शुक्ला)

निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)

निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)

निदेशक

(डॉ. जयदेव मद्गुला)

निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 "नकदीप्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 13 मई, 2022 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

सीए प्रदीप जे. शेठ्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022